न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 28/2008

प्रार्थी

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री हंसाजी जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री लालाराम पुत्र श्री हंसाजी जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री छगनलाल पुत्र श्री हंसाजी जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्रीमती पारूबाई पुत्री श्री हंसाजी पत्नि श्री कांतिभाई जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्रीमती शारदाबाई पुत्री श्री हंसाजी पत्नि श्री पनाजी जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. श्रीमती इन्द्राबाई पुत्री श्री हंसाजी पत्नि श्री मणीलालजी जाति भील निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामप्रसादजी जाति कोली निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
2. श्री मोहनलाल पुत्र श्री रामप्रसादजी जाति कोली निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
3. श्री मुन्नालाल पुत्र श्री रामप्रसादजी जाति कोली निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
4. श्री चुन्नीलाल पुत्र श्री रामप्रसादजी जाति कोली निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
5. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामप्रसादजी जाति कोली निवासी लुणीयापुरा तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
6. ग्राम पंचायत तरतोली।
7. नगरपालिका आबूरोड।
8. तहसीलदार आबूरोड।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री अश्विन मरडिया, अधिवक्ता अप्रार्थीगण [illegible] से पांच की ओर से ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक: 15.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, तरतोली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल के हक

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

में जारी किया गया पट्‌टा संख्या 25 दिनांक 11.08.1969 वर्गफीट 2505 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्‌टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए जो शामिल मिसल किए गए। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणीयापुरा नियमो के विपरित पट्‌टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या व तारीख दायर दर्ज नहीं है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण लुणियापुरा आबूरोड के रहने वाले है एवं उनके मकान के उत्तर दिशा में आम रास्ता है और उसके आगे अप्रार्थी संख्या एक से पांच की निष्क्रान्त सम्पत्ति में मकान बनाकर रह रहे है। यह है कि निष्क्रान्त सम्पत्ति को राजकीय सम्पत्ति माना जाता है क्योंकि देश में रह रहे मुसलमान जब बंटवाड के बाद अपनी सम्पत्ति छोडकर पाकिस्तान चले गए तब वह सम्पत्ति राजकीय मानी जाती है और ऐसी सम्पत्ति का संचालन राज्य सरकार करती है। विवादित सम्पत्ति तहसीलदार आबूरोड के कब्जे में है जिसमें रहने वाले लोगों का व्यक्तिगत हित नहीं होता है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार आबूरोड को भी पट्‌टा निरस्त कराने का निवेदन किया था जिसमें दिनांक 18.02.1995 को तहसीलदार आबूरोड द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया लेकिन बेदखली नहीं की गई। वर्तमान में यह सम्पत्ति नगरपालिका आबूरोड क्षेत्र में है। तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत को भी लिखा गया मगर पट्‌टा निरस्त नहीं हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच तक के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्‌टा संख्या 25 दिनांक 11.08.1969 वर्गफीट 2505 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री अश्विन मरडिया द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक से पांच तक के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली को नियम 266 के तहत भूमि की कीमत रूपये 551/– जरिए रसीद संख्या 1435 दिनांक 06.06.1961 को लेकर पट्‌टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा [illegible] पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259 एवं 260 के [illegible] पट्‌टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या–एक से पांच के पिता श्री [illegible]प्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा द्वारा [illegible] पट्‌टा प्राप्त करते समय नही की गई है विवादित भूमि सार्वजनिक [illegible] है अतः पट्‌टा जारी करने मे राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है । अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या एक से पांच ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी भाग में नियमानुसार सम्पत्ति खरीदने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपर जिला न्यायालय आबूरोड के निर्णय की प्रति पेश की गई है।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक से पांच की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहाँ तक अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या एक से पांच को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, तरतोली द्वारा पंचायत के प्रस्ताव के रूपये 551/– जरिए रसीद संख्या 1435 दिनांक 06.06.1961 को शुल्क लेकर जारी किया गया है । राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा। किन्तु इस प्रकरण मे अप्रार्थी संख्या एक से पांच का कही पर भी पुराना कब्जा प्रस्तुत रेकर्ड से साबित नही होता है।

जहां तक अप्रार्थी संख्या एक से पांच के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को दी गई है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र लम्बे समय बाद प्र[illegible] है अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का [illegible] करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर क[illegible] है [illegible] प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार आबूरोड ने मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.1995 में लिखा है कि विवादित भूमि निष्क्रांत सम्पत्ति है जिसके विरूद्ध में अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो उक्त सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति साबित नहीं करता हो। यह है कि पूर्व में देश में निवासरत व्यक्ति जब बंटवाड के बाद अपनी सम्पत्ति को छोडकर पाकिस्तान चले गए थे तब वह सम्पत्ति राजकीय मानी जाती है और यह सम्पत्ति निष्क्रांत सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा, निष्क्रान्त सम्पत्ति पर निवासरत नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार आबूरोड ने भी दिनांक 18.02.1995 में स्पष्ट किया है कि अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा, जो कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के मकान में निवासरत है, ने ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा अवैध रूप पट्टा जारी करवा लिया है। अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे कि विवादित भूमि उनके मालिकाना स्वामित्व की है एवं उनका विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा था। जहां तक निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रश्न है, ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा को निष्क्रांत सम्पत्ति का पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक से पांच के अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे कि अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा निष्क्रान्त सम्पत्ति आंवटित के हकदार थे। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तरतोली द्वारा अप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता श्री रामप्रसाद पुत्र श्री छोटेलाल जाति कोली निवासी लुणियापुरा के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 11.08.1969 वर्गफीट 2505 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:17:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner